GCMS-2023/1016

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम जोधपुर (ग्रामीण)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
चन्दाराम पुत्र मंगलाराम, जाति मेघवाल, धन्धा खेती, निवासी नाडसर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।		रामचन्द्र पुत्र बस्ताराम, जाति मेघवाल, निवासी नाड़सर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर वगैरा।

किस्म मुकदमा पंचायत निगरानी नं. 34 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इस हुक्म तारीख अहकान की तामील में जारी हुए
27.09.2023	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 की अनुपालना में जिला जोधपुर (ग्रामीण) का नवगठन होने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/डी.एम./रीडर/2023/01 दिनांक 05.09.2023 की अनुपालना में प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 24.01.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)	
24/1/24	पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान P.O. महो. आज अवकाश होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 3-4-24 को पेश हों। B.O.	
03/04/2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली 6 वर्षों से बहस हेतु नियत है लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु बार-बार समय लिया गया। न्यायालय समय में प्रार्थी व उसके अधिवक्ता [illegible] आवाज दिलवाने के [illegible] प्रार्थी व उसके अधिवक्ता [illegible] अदम पैरवी अतः पत्रावली अदम [illegible] में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:32:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner